विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 241 दुर्ग, दिनांक 27/07/2026

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 110
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री
नगर निगम भिलाई
बी.पी.क्रमांक — **1004523457**

आवेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, कोहका जोन

अनावेदकगण

आदेश

आज दिनांक 27/07/26 को पारित किया गया

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत जल कार्य (Water Works) हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1004523457, स्वीकृत भार 9 एच.पी., में विद्युत बिल सही नहीं होने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य

मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है रू–

1. उपरोक्त विद्युत कनेक्शन जल कार्य (Water Works) के प्रयोजन हेतु स्थापित है।
2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 9 एच.पी. है।

3. उक्त कनेक्शन में जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक की शिकायत का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जनवरी 2023 से जून 2025 की अवधि की विद्युत बिलिंग में विसंगति पाई गई है तथा उक्त बिलिंग का पुनः परीक्षण कर आवश्यक सुधार किया जाना अपेक्षित है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा उक्त कनेक्शन का जनवरी 2023 से अप्रैल 2026 तक का बिलिंग डाटा प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर कभी भी स्टॉपधडिफेक्टिव स्थिति में नहीं रहा तथा वास्तविक मीटर खपत के आधार पर बिलिंग की गई है।

यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त कनेक्शन में जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं रू–

1. क्या आवेदक को जारी विद्युत बिल सही एवं युक्तिसंगत था?
2. क्या आवेदक के विद्युत बिल में पावर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग की गई है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्र, बिलिंग डाटा एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन में स्थापित मीटर कभी भी स्टॉपधडिफेक्टिव स्थिति में नहीं रहा।

अतः संबंधित अवधि में विद्युत बिल वास्तविक मीटर खपत के आधार पर जारी किए गए हैं। उपलब्ध बिलिंग अभिलेखों में ऐसी कोई तथ्यात्मक अथवा गणितीय विसंगति नहीं पाई गई है, जिससे यह निष्कर्ष निकले कि उपभोक्ता को गलत बिल जारी किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात उपलब्ध विद्युत खपत का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि स्मार्ट मीटर स्थापित होने के बाद की खपत पूर्व में दर्ज खपत के लगभग अनुरूप है। इससे भी यह पुष्टि होती है कि पूर्व अवधि में दर्ज खपत असामान्य अथवा अविश्वसनीय नहीं थी।

अतः फोरम के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों एवं खपत के तुलनात्मक परीक्षण के आधार पर बिलिंग में किसी प्रकार की विसंगति प्रमाणित नहीं होती है।

अतः आवेदक को जारी विद्युत बिल में किसी प्रकार की प्रमाणित अनियमितता नहीं पाई गई।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत मीटर गणना पत्रक एवं बिलिंग अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि संबंधित विद्युत कनेक्शन में पावर फैक्टर सरचार्ज आरोपित नहीं किया गया है।

अतः आवेदक द्वारा पावर फैक्टर सरचार्ज के संबंध में की गई आपत्ति तथ्यात्मक अभिलेखों से प्रमाणित नहीं होती है तथा इस संबंध में किसी राशि के निरस्तीकरण अथवा समायोजन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम यह पाता है कि आवेदक द्वारा जनवरी 2023 से जून 2025 की अवधि की विद्युत बिलिंग में किसी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित नहीं की जा सकी है।

मीटर कभी भी स्टॉपधडिफेक्टिव नहीं रहा तथा वास्तविक मीटर खपत के आधार पर बिलिंग की गई है। जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात प्राप्त खपत भी पूर्व अवधि की खपत के लगभग अनुरूप पाई गई है।

इसी प्रकार, उपलब्ध बिलिंग अभिलेखों के अनुसार पावर फैक्टर सरचार्ज भी आरोपित नहीं किया गया है।

अतः फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है –

1. बी.पी. क्रमांक 1004523457 में जनवरी 2023 से जून 2025 की अवधि की बिलिंग में किसी प्रकार की प्रमाणित विसंगति नहीं पाई गई है। अतः उक्त अवधि के बिल में कोई संशोधन आवश्यक नहीं है।

संबंधित विद्युत कनेक्शन में पावर फैक्टर सरचार्ज आरोपित नहीं किया गया है। अतः
संबंध में किसी राशि के निरस्तीकरण अथवा समायोजन का प्रश्न नहीं है।

ावेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में लगाए गए आरोप अभिलेखों से प्रमाणित नहीं होने के
परिवाद निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

4. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

5. आदेश पारित किया गया।

6. प्रकरण निराकृत

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. संजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग